[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 13/2018- केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2018

सा.का.नि. (अ).-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 110, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वनस्पति तेलों से प्राप्त लॉग चेन फैटी अम्लों के एलकाइल ईस्टर सहित हाई स्पीड डीजल ऑयल सम्मिश्र जिसे सामान्यत: बायो डीजल के रूप में जाना जाता है, 20% परिमाण तक जो कि एक सम्मिश्र है जिसमें 80% या अधिक हाई स्पीड डीजल ऑयल है जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क संदत्त किया जा चुका है और 20% बायो डीजल तक जिस पर यथास्थिति समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या समेकित कर संदत्त किया जा चुका है, वित्त विधेयक, 2018 के उपरोक्त खंड के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) से छूट प्रदान करती है ।

स्पष्टीकरण - इस सूचना के प्रयोजनों के लिए

(क) "समुचित उत्पाद शुल्क" से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 110 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जो तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के साथ पठित है, अभिप्रेत है ; और

(ख) "समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और समेकित कर" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा

कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्ग्रहणीय केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत है ।

(फा.सं. 334/4/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार